



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256364
CG-DL-E-14082024-256364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2024/ श्रावण 22, 1946

No. 457]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/ SHRAVANA 22, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 496(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2022 के, नियम 2 में, क्रम संख्यांक (8) और (9) और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“(8) श्री संजय कल्लापुर

(9) प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी”।

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018-एनएफआरए-एमसीए]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल ,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) तारीख 23 मार्च, 2022 के अधीन प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि.400(अ) तारीख 20 मई, 2022 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 13th August 2024

G.S.R. 496 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority appointment of part-time members (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, in rule 2, for serial numbers (8) and (9) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -
“(8) Shri Sanjay Kallapur
(9) Professor R. Narayanswamy”.

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA]

INDERDEEP SINGH DHARIWAL , Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number C.S.R. 220 (E), dated the 23rd March, 2022 and last amended vide notification number G.S.R. 400 (E), dated the 25th May, 2022.